न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

प्रार्थना–पत्र संख्या 05/2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
प्राधिकृत अधिकारी भारतीय स्टेट बैंक सेक्टर 4, जवाहर नगर, जयपुर।		1. मैसर्स उमा एक्जिम (इण्डिया) निवासी ई–203, रिको औद्योगिक क्षेत्र, ग्रोथ सेन्टर फेस–2 आबूरोड जिला सिरोही। 2. श्री हितेश भाई पटेल पुत्र श्री रसीक लाल पटेल निवासी ई–101 नीलगिरी अपार्टमेन्ट, सोला भागवत मन्दिर के पास सोला अहमदाबाद। 3. श्री भरतभाई पटेल पुत्र श्री नाथालाल निवासी 128 गोयल पार्क रॉ हाउस, गोयल प्लाजा के सामने, वस्त्रपुर बोडाकदेव, अहमदाबाद सिटी, अहमदाबाद। 4. श्री विरल कुमार पटेल पुत्र श्री गिरीश कुमार निवासी 40, मुनिसिपल कर्मचारी नगर, सताधार क्रॉस रोड के पास, अहमदाबाद सिटी, गाटलोडिया अहमदाबाद।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्यूराइटेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002

उपस्थिति :–

1. श्री रामनिवास स्वामी, सक्षम प्राधिकारी प्रार्थी।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

निर्णय

दिनांक : 08.07.2021

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्यूराइटेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट आफ सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत किया । प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया ।

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी पक्ष के द्वारा अप्रार्थी–

1. मैसर्स उमा एक्जिम (इण्डिया) निवासी ई–203, रिको औद्योगिक क्षेत्र, ग्रोथ सेन्टर फेस–2 आबूरोड जिला सिरोही।
2. श्री हितेश भाई पटेल पुत्र श्री [illegible]क [illegible] पटेल निवासी ई–101 नीलगिरी अपार्टमेन्ट, सोला भागवत मन्दिर के [illegible] अहमदाबाद।
3. श्री भरतभाई प[illegible] पुत्र श्री नाथालाल [illegible]सी 128 गोयल पार्क रॉ हाउस, गोयल प्लाजा के साम[illegible] [illegible] अहमदाबाद सिटी, अहमदाबाद [illegible]
4. श्री विरल कुमार पटेल पुत्र श्री गि[illegible] कुमार निवासी 40, मुनि[illegible]चारी नगर, सताधार क्रॉस रोड के पास, अहमदाबाद सिटी, गाटलोडिया अहमदाबाद।

को राशि रूपये 95,00,000/– की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थी ने अपनी जायदाद प्रार्थी/कंपनी के पास बतौर अमानत बंधक रखी थी।

जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:12:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी ने अपनी जायदाद प्लॉट नं. ई–203, रिको ग्रोथ सेन्टर फेज द्वितीय, आबूरोड जिला सिरोही में स्थित क्षेत्रफल 4231.71 वर्गमीटर को प्रार्थी/कम्पनी के पक्ष मे रहन कर दिया।

अप्रार्थी द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने मे असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 12.09.2018 को जारी किये गये । जो पंजीकृत डाक के माध्यम से तामिल करवाये गये उसके पश्चात भी अप्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी/कंपनी ने अप्रार्थीयो के द्वारा बतोर जमानत रहन रखी गई सम्पति इत्यादि का कब्जा प्रार्थी/कम्पनी को संभलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया ।

प्रार्थी के लायक अधिकारी/अधिवक्ता की बहस सुनी । विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित बिन्दुओ की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रार्थी/कम्पनी एक नियमित निकाय है जो ऋण देने का व्यवसाय करती है उसकी शाखा जयपुर (राज.) मे स्थित व कार्यरत है। प्रार्थी/कंपनी द्वारा अप्रार्थीगण को रूपये 95,00,000/– ऋण स्वीकृत किया था । जिसकी एवज में अपनी जायदाद प्रार्थी/कम्पनी के पक्ष में बन्धक रखी गई थी जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र मे किया गया है । बहस मे कहा कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी पक्ष को नियमित रूप से ऋण राशि व ब्याज राशि का भुगतान नही करने के कारण एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये किन्तु अप्रार्थी द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान नही किया गया । भुगतान नही करने के फलस्वरूप अप्रार्थी स्वयं जिम्मेदार है । अतः अप्रार्थीगण द्वारा बतोर जमानत प्रार्थी/कम्पनी के पक्ष मे रहन रखी गई उक्त जायदाद इत्यादि का कब्जा प्रार्थी/कम्पनी को दिलाया जाव ।

प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी । अप्रार्थी द्वारा राशि रूपये 95,00,000/– का ऋण लिया था । ऋण राशि के बदले में अप्रार्थी द्वारा अपनी जायदाद को प्रार्थी/कम्पनी के पक्ष मे उक्त जायदाद रहन रखी है । प्रार्थी द्वारा नियमानुसार धारा 13(2) के अधीन अप्रार्थी को रजिस्टर्ड नोटिस भी दिनांक 12.09.2018 को जारी किये है जिनकी प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थी द्वारा देय राशि का भुगतान नही किया है ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:12:52 IST
Reason: SelfAttested

<u>दी सिक्यूराइटेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट आफ सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 निम्न प्रकार है :–</u>

14 . Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate to assist secured creditor in taking possession of secured asset – (1) Where the possession of any secured assets is required to be taken by the secured creditor or if any of the secured assets is required to the sold are transferred by the secured creditor under the provisions of this Act, the secured creditor may, for the purpose of taking possession or control of

जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

Scanned with CamScanner

any such secured asset, request, in writing the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate within whose jurisdiction any such secured asset or other document, relating thereto may be situated or found to take possession thereof and the

Chief Metropolitan Magistrate or as the case may be, the District Magistrate shall, on such request being made to him –

(a) take possession of such asset and documents relating thereto

and

(b) forward such assets and documents to the secured creditor

(2) For the purpose of securing compliance with the provisions of sub-section (1) , the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate may be take or cause to be taken such steps and use, or cause to be used, such force, as may, in his opinion, be necessary.

परिणामस्वरूप तथ्यों के संदर्भ मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्यूराइटेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट आफ सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी/कम्पनी के पक्ष मे प्रतिभूति के रूप मे रखी गई अपनी जायदाद प्लॉट नं. ई–203, रिको ग्रोथ सेन्टर फेज द्वितीय, आबूरोड जिला सिरोही में स्थित क्षेत्रफल 4231.71 वर्गमीटर को प्रार्थी/कम्पनी पक्ष मे रहन कर दिया । जिसका अडोस पडोस निम्न प्रकार है।

उत्तरः– प्लॉट नं. ई–202,

दक्षिणः– प्लॉट नं. ई–204,

पूर्वः– रिको रोड

पश्चिमः– निजी भूमि

उपरोक्त जायदाद का कब्जा अप्रार्थी से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस थाना से प्रार्थी/कम्पनी को संभलाये जाने का आदेश दिया जाता है । यदि उक्त सम्पति किसी भी तरीके से बंद पायी जाती है तो ताला तोडकर उक्त सम्पति पर प्रार्थी/कंपनी अपना कब्जा स्थापित करें । आदेश की प्रति वास्ते पालनार्थ पुलिस अधीक्षक सिरोही, संबंधित थानाधिकारी पुलिस थाना एवं प्रार्थी/कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे । आदेश आज दिनांक 08.07.2021 को सरे ईजलास सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:12:52 IST
Reason: SelfAttested

(भगवती प्रसाद)
जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

Scanned with CamScanner